जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-14.05.2025**

थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 14.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.राहुल पुत्र रफल सिंह निवासी ग्राम किशोरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 पव्वे देशी शराब बरामदः-

दिनांक 13.05.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 20 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.कल्लू पुत्र गिरवर निवासी ग्राम मालैण्डी थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब 20 पव्वे।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इस्सोपुर खुरगान में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 01.03.2025 को वादी श्री इन्सार पुत्र मेहन्दी हसन निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के ताऊ के लड़को द्वारा एक राय होकर जानलेवा हमला करने व गाली गलौच व मारपीट करने के सम्बन्ध थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 14.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इस्सोपुर खुरगान में गाली गलौज, मारपीट व जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त अफसर, असलम, सलमान, मारुफ को दिनाँक 15.04.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1.अकरम पुत्र रशीद निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

2.मनव्वर पुत्र रशीद निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

3.अकरम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 2,200/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 1998 में अभियुक्त पप्पन पुत्र वीर सिंह निवासी मौहल्ला ताड़वाला थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 249/1998 धारा 379/411 भादवि अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 14.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसड़ी शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2.-वर्ष 2007 में अभियुक्त मुस्तफा पुत्र सईद निवासी ग्राम करमू खेड़ी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 394/2007 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 14.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसड़ी शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक सजा व 1,200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>